



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2012/फाल्गुन 2, 1933

No. 34]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2012/PHALGUNA 2, 1933

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2012

सं. भा.आ.प.-18(1)/2011-मेडि./61259.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

- (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2012 (भाग I)" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- एम.सी.एच. (मास्टर ऑफ चिरुर्गई) शीर्षक के अंतर्गत खंड घ में एम.सी.एच. (हैण्ड सर्जरी) के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

एम.सी.एच. (सिर एवं गर्दन शल्यचिकित्सा)

प्राथमिक अपेक्षिताएं

एम एस (ईएनटी)

अथवा एम.एस. (जनरल सर्जरी)

अथवा एम.सी.एच. (प्लास्टिक व पुनर्गठनात्मक सर्जरी)

अथवा एम.सी.एच. (सर्जिकल ऑनकोलॉजी)

अथवा एम एस (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/11/असा.]

पाद टिप्पणी.—प्रधान नियमावली, नामतः "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 6-10-2009, 17-11-2009, 9-12-2009, 16-4-2010 और 8-12-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2012

No. MCI-18(1)/2011-Med./61259.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely:—

1. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2012 (Part-I)".
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In clause D under the heading M. Ch. (Master of Chirurgie), the following shall be added after M. Ch. (Hand Surgery):—

M. Ch. (Head and Neck Surgery)

Prior Requirement

MS (ENT)

or MS (General Surgery)

or M.Ch. (Plastic and Reconstructive Surgery)

or M.Ch. (Surgical Oncology)

or M.Ch. (Neuro Surgery)

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/100/11/Esty.]

Foot Note.—The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India on the 7th October, 2000 and amended *vide* Medical Council of India notification dated 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 6-10-2009, 17-11-2009, 9-12-2009, 16-4-2010 and 8-12-2010.